



इंदिरा गाँधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान

(राज्य ग्रामीण विकास संस्थान)

जवाहर लाल नेहरू मार्ग, कॉमर्स कॉलेज के सामने, जयपुर

दूरभाष : 2706577, 2706578, 2702784 फैक्स 2706571-575

क्रमांक:एफ8(57)एसआईआरडी/आईजीपीआरएस/2014/

दिनांक:25.06.2015

आदेश

2341-64

संस्थान के प्रशासनिक नियंत्रण में आये छः पंचायत प्रशिक्षण केन्द्रों के स्वामित्व वाली भूमि, भवन, हॉस्टल व सेमीनार हॉल को किराये पर दिये जाने हेतु उक्त की दरें/किराया निर्धारण हेतु जिला स्तर पर महा निदेशक महोदय के अनुमोदन उपरान्त निम्नानुसार कमेटी का गठन किया जाता है:-

1. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद (पीटीसी मुख्यालय) अध्यक्ष
2. जिला कलेक्टर की ओर से कोषाधिकारी या उप कोषाधिकारी सदस्य
3. आचार्य पीटीसी सदस्य सचिव

उक्त कमेटी अपने दर/किराया निर्धारण के प्रस्ताव संस्थान मुख्यालय में गठित निम्न कमेटी को भेजेगी, जो जिला स्तर पर प्राप्त दर/किराया निर्धारण के प्रस्तावों का अनुमोदन करेगी:-

1. अतिरिक्त निदेशक
2. उप निदेशक (प्रशासन)
3. लेखाधिकारी
4. श्री प्रवीण सिंह कच्छावा, एसोसिएट प्रोफेसर

सभी छः पीटीसी के आचार्यों को निर्देशित किया जाता है किया जाता है कि वे किराये से प्राप्त आय का अलग से खाता खुलवा कर अलग कैश बुक संधारित करेंगे। उक्त दरें वर्ष में एक बार निर्धारित कराई जावेंगी, जिसे समय-समय पर रिवाईज किया जा सकेगा। उक्त दरों का अनुमोदन जिला स्तर पर गठित समिति से प्राप्त होने पर मुख्यालय की समिति के अनुमोदन उपरान्त अध्यक्ष, कार्यकारी परिषद से करवा लिया जावेगा।

अतिरिक्त निदेशक

प्रतिलिपि :-

1. निजी सचिव, महानिदेशक, संस्थान
2. जिला कलेक्टर, अजमेर, मण्डोर (जोधपुर), डूंगरपुर, कोटा, बीकानेर एवं भरतपुर को भेजकर लेख है कि कोषाधिकारी या उप कोषाधिकारी को उपरोक्त वर्णित समिति में नियुक्त करावें।
3. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद अजमेर, मण्डोर (जोधपुर), डूंगरपुर, कोटा, बीकानेर एवं भरतपुर
4. आचार्य, ग्राम सेवक/पंचायत प्रशिक्षण केन्द्र, अजमेर, मण्डोर (जोधपुर), डूंगरपुर, कोटा, बीकानेर एवं भरतपुर
5. प्रभारी अधिकारी, पीटीसी, संस्थान
6. प्रभारी कम्प्यूटर शाखा, संस्थान
7. केयर टेकर/संस्थापन शाखा, संस्थान

अतिरिक्त निदेशक